BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 जून, 2022 **थाना गुलावठी**

कूटरचित तरीके से लोगों से षड्यंत्र कर ठगी करने वाले 04 कथित फर्जी पत्रकार गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी मीडिया पहचान पत्र एवं माइक आईडी एवं एक एसेंट कार बरामद।

आज दिनांक 30.06.2022 को थाना गुलावठी पुलिस क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि अभिसूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अपने आपको पत्रकार बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस समय वह लोग अनाज मंडी में अपने आपको न्यूज-24 का पत्रकार साबित कर गुमराह कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल अनाज मंडी पहुंची तो धर्मकांटे के पास कुछ लोग अपने-अपने गले में पत्रकारिता का पहचान-पत्र डाले खड़े थे। धर्मकांटे के पास खड़े चार व्यक्तियों से पूछताछ/छानबीन की गई तो चारों ने व्यक्तियों ने बताया कि वह लोग पत्रकार हैं जो विभिन्न चैनलों एवं न्यूज पेपरों में काम करते हैं। चारों व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने पर चारों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर न्यूज-24 के कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों/पत्रकारों से जानकारी/पुष्टि की गई तो किसी भी व्यक्ति की न्यूज-24 एवं अन्य समाचार पत्रों में काम करने किसी भी प्रकार से पुष्टि नही हुई तथा चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. दीक्षित पुत्र स्व0 गोपीनाथ दीक्षित निवासी म0नं0-419 मेन रोड मंगवली दिल्ली।
2. हरीश पुत्र त्रिलोक चंद निवासी 32/146 प्रथम तल त्रिलोकपुरी दिल्ली पूर्वी दिल्ली।
3. बबलू उर्फ विकास मैसी पुत्र हरबूलाल मैसी निवासी ई-25बी/29/184 त्रिलोकपुरी पूर्वी दिल्ली।
4. आकाश मोर्य पुत्र छोटेलाल निवासी प्रतापगढ़ पट्टी जिला प्रतापगढ़। हालपता-33/204 त्रिलोकपुरी पूर्वी दिल्ली।

बरामदगी-

1- एक कार एसेंट नंबर डीएल-7सीजे-3995
2- चारों अभियुक्तों से फर्जी मीडिया पहचान पत्र एवं माइक आईडी।

गिरफ्तार अभियुक्त रविन्द्र दीक्षित के गले से पहचान पत्र जनसागर टुडे प्रेस का मिला जिस पर स्वयं का फोटो लगा था। दूसरे अभियुक्त हरीश के पास से न्यूज-24 मीडिया का पहचान-पत्र का फोटो लगा मिला तथा एक माइक आईडी जिस पर न्यूज-24 मीडिया लिखा है। तीसरे अभियुक्त बबलू उर्फ विकास मैसी से ए टू जेड 24’7 न्यूज़ तथा जिस पर स्वयं की फोटो लगी थी तथा एक माइक आइडी मिली। चौथे आकाश मोर्य के पास से न्यूज-24 मीडिया का एक पहचान एवं स्वयं का फोटो लगा था तथा अभियुक्तों से एक कार एसेंट नंबर डीएल-7सीजे-3995 बरामद हुई।

विभिन्न प्रेस पहचान-पत्रों के संबंध में जानकारी/जांच करने पर किसी भी व्यक्ति के मीडिया पहचान पत्र के संबंध में कोई भी अभियुक्त सही जानकारी नही दे सका। चारों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग कूटरचित तरीके से पत्रकारिता का परिचय देते हुए लोगों को अपने झांसे में फंसाकर षड्यंत्र कर लोगों से ठगी करने का काम करते हैं। हम किसी समाचार पत्र या प्रेस से संबंध नही रखते हैं। बरामद एसेंट कार के संबंध में जानकारी की गई तो कोई भी प्रपत्र नही दिखा सके और इस कार को इस तरह के कार्यों में प्रयोग में करना बताया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं-241/2022 धारा 419,420 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अजय कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक गुलावठी।
2. उ0नि0 तेजेन्द्रपाल सिंह, का0 औरंगजेब, का0 इन्द्रजीत, का0 शाहिद इकबाल।

मीडिया सैल बुलन्दशहर